

Diversion of 0.127805 Ha. of forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited, Jodhpur for establishment of Petrol Pump in at village Ladekhan (Nayagaon) (NH15) Th- Kolayat, Distt. Bikaner (FP/RJ/ROAD/14567/2015)

PART – IV

(to be filled by the Nodal officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest department)

16. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks.	Agree with comments of DCF & CCF, Proposal may be accepted & recommended for approval
---	---



APCCF & Nodal Officer FCA -Rajasthan

Date :- 11/12/15

Place : Jaipur

Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bikaner

No. F.8-1() Revenue/Forest/Diversion/14/ 5256

Dated...12/11/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.127805 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Indian Oil Corporation Ltd. for Construction of Approach Road for Proposed IOCL Retail Outlet in Bikaner district** falls within jurisdiction of Ladekhan (Nayagaon) village in Kolayat tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.127805 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: AS above


(PUNAM)
District Collector
Bikaner

No. F.8-1() Revenue/Forest/Diversion/14/

Dated.....

Copy forwarded to :

1. DFO (Territorial), Bikaner
2. DFO (Stage-II), Bikaner


District Collector
Bikaner

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक : सीबी/पंचायत/वनाधिकार/2015/ 859

दिनांक 31/10/15
10.2015

बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.8बी/राज/06/ 19/2015/एफ.सी/201 दिनांक 28.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 6(14)प्रसु/अनु-3/2008(1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं एवं नियम 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 14.10.2015 को अपराह्न 11.00 बजे अवोहम्नाक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री बी.एल. मेहरड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सदस्य बीकानेर | |
| 2. डा. सलम कुमार, उप वन संरक्षक, बीकानेर | सदस्य |
| 3. श्रीमती निपुण | सदस्य |

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं एवं नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण विचारार्थ रखे गये :-

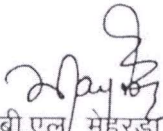
- 400 केवी डी/सी (क्वाड मूज) मडला-बीकानेर पारंपरिक लाईन निर्माण चक 21 जेएमडी, 20 जेएमडी, 2 एचएमएन, 1 एनजीएन, 481-500 आरडी, 1 बीएचएम एवं कावसर तहसील बीकानेर तथा ग्राम नोखा दैया, रणधीसर एवं सुरजडा तहसील कोलायत
- आई.ओ.सी. रिटेल आउटलेट 76/805 - 76/855 खसरा नंबर 334/52 एन एच 15 बीकानेर नोखडा रोड ग्राम लाड खाँ उर्फ नया गांव तहसील कोलायत
- आई.ओ.सी. रिटेल आउटलेट ग्राम नोरमदेसर तहसील बीकानेर एन. एच. 11 543/372 - 543/422 खसरा नंबर 792/1

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति कोलायत व बीकानेर द्वारा ग्राम सभा की अनुज्ञा के आधार पर अनुमोदन किया जा चुका है।

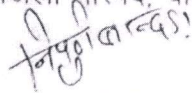
अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं

है। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली उपर्युक्त प्रकरणों की भूमि पर निर्माण हेतु सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

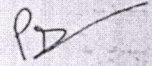
अतः उक्त प्रकरणों में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से अभिशंका की जाती है।



श्री बी.एल. मेहरड़ा,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, बीकानेर



श्रीमती निपुण
सदस्य, जिला परिषद,
बीकानेर



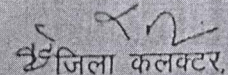
पूनम
जिला कलक्टर,
बीकानेर

डा. सलभ कुमार,
उप वन संरक्षक,
बीकानेर

क्रमांक : सीबी/पंचायत/वनाधिकार/2015/ 860-864
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

दिनांक : 31/10/15
10.2015

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर
2. प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा
3. उप वन संरक्षक, बीकानेर
4. अधिशापी अभियंता (सी एण्ड एम टीसीसी नवम), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बीकानेर
5. सहायक प्रबंधक (आरएस) एण्ड डीएलसी, इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीकानेर


जिला कलक्टर,
बीकानेर

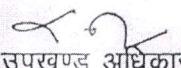
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

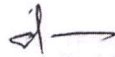
क्रमांक:- 2278

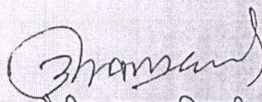
दिनांक:- 14.9.15

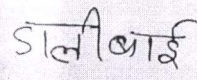
बैठक

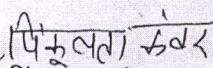
श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बीकानेर के आदेश क्रमांक:- एफ-8-1() राजस्व/वन/प्रत्या/14/4048 दिनांक 31.08.2015 बीकानेर की पालना में आई.ओ.सी. रिटेल आउटलेट 76/805-76/855 खसरा नंबर 334/52 एन एच 15 बीकानेर नोखडा रोड ग्राम लाड खां उर्फ नया गांव तहसील कोलायत के निर्माण हेतु कोलायत क्षेत्र वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए आज दिनांक 14.09.2015 को अनुसूचित जनजाति एवं वन परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक उपखण्ड कार्यालय कोलायत में निम्न हस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में की गई, जिसमें अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का पूर्व में एवं वर्तमान में किसी प्रकार का कोई दावा लम्बित नहीं है तथा न ही उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

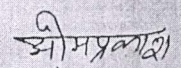

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कोलायत
कोलायत जिला


विकास अधिकारी,
पंचायत समिति कोलायत
कोलायत


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
कोलायत


श्रीमति डाली बाई,
पंचायत समिति सदस्य,
कोलायत


श्रीमती पिकूलता कंवर,
पंचायत समिति सदस्य,
कोलायत


श्री ओमप्रकाश,
पंचायत समिति सदस्य,
कोलायत

ग्राम सभा अनुज्ञा

ग्राम सभा : ग्राम पंचायत भाणेका गांव

आई.ओ.सी. रिटेल आऊटलेट 76/805-76/855 खसरा नं. 334/52 एन एच 15 बीकानेर नोखड़ा रोड ग्राम लाड खां उर्फ नया गांव तहसील कोलायत द्वारा आयोजित की गई ग्राम सभा बैठक गांव भाणेका गांव में सरपंच श्रीमती शारदा देवी की अध्यक्षता तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति आयोजित की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित की गई। ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. गैर वन उद्देश्य के लिए वन विभाग के गांव लाड खां उर्फ नया गांव में हेक्टेयर आई.ओ.सी. रिटेल आऊटलेट 76/805-76/855 खसरा नम्बर 334/52 एनएच 15 बीकानेर नोखड़ा रोड के निर्माण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
2. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के उद्देश्य तथा निहितार्थों पर गांव समिति में प्रकट तथा अप्रकट तौर पर विचार-विमर्श किया गया।
3. उपरोक्त विपथन प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सभी खण्डों पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया। विपथन हेतु प्रस्तावित आई.ओ.सी. रिटेल आऊटलेट 76/805-76/855 खसरा नम्बर 334/52 एनएच 15 बीकानेर नोखड़ा रोड ग्राम लाड खां उर्फ नया गांव तहसील कोलायत के निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम वनवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।

इसलिए गैर वन उद्देश्य अर्थात् आई.ओ.सी. रिटेल आऊटलेट 76/805-76/855 खसरा नम्बर 334/52 एनएच 15 बीकानेर नोखड़ा रोड ग्राम लाड खां उर्फ नया गांव तहसील कोलायत के निर्माण के लिए वन विभाग के गांव लाड खां उर्फ नया गांव की वन भूमि के 0.127805 हेक्टेयर भूमि विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

21/2/2015
ग्राम सेवक/सरपंच
ग्राम पंचायत भाणेका गांव
जिला बीकानेर दिनांक 11/2/2015